

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 39
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

रायद्रुवु के निकट 'समुद्र-मुख' (सी-माउथ) खोलना

*39. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

- (क) क्या राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने वर्ष 2017 में नेल्लोर जिले में रायद्रुवु के निकट 'समुद्र-मुख' (सी-माउथ) खोलने हेतु 48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एकडीपीआर सरकार को प्रस्तुत की थी;
- (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस मुद्दे से आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य के मछुआरा समुदायों के मध्य गंभीर विवाद उत्पन्न हो रहा है; और
- (घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा रायद्रुवु के निकट एक 'समुद्र-मुख' (सी-माउथ) खोलने की दिशा में की गई पहल का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

रायद्रुवु के निकट 'समुद्र-मुख' (सी-माउथ) खोलने के संबंध में 19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री अदला प्रभाकर रेड्डी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *39 के उत्तर के संदर्भ में विवरण ।

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई ने 2017 में 48.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आंध्र प्रदेश में श्री पोटी श्रीरामुलु नेल्लोर जिले के रायद्रुवु में समुद्र-मुख (सी-माउथ) खोलने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार ने अपेक्षित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) आंध्र प्रदेश से अनुमति प्राप्त कर ली गई है । राज्य सरकार ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), चेन्नई से रायद्रुवु में पुलिकट झील में समुद्र-मुख (सी-माउथ) खोलने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का अनुरोध किया । एनसीसीआर ने अप्रैल 2022 में 128.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर रायद्रुवु में समुद्र-मुख (सी-माउथ) खोलने और झील की ओर 2800 मीटर लंबी चैनल की ड्रेजिंग करने के लिए डीपीआर तैयार कर उसे प्रस्तुत किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को सागरमाला योजना के तहत 100% अनुदान राशि अर्थात् 128.80 करोड़ रुपए की मांग करते हुए, डीपीआर प्रस्तुत किया है । जुलाई 2022 के महीने से, राज्य सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से तटीय विनियमन क्षेत्र (कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन) और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक अध्ययन भी शुरू किया है।
